अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
23.12.2020	**सूजा पुत्र स्व0 ज्वारा बनाम बरजी पत्नी छोटू आदि** पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई । अभिभाषक अपीलांट ने हस्तगत अपील सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 4.1.2018 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.12.2020 को लगभग तीन वर्ष के उपरांत मियाद बाहर अपील पेश की है । विलंब के संबंध में कथन किया है कि प्रार्थी अशिक्षित पेशा काश्तकारी मजूदर होकर कानून की जानकारी नही रखता है । आदेश दिनांक 4.1.2018 के पश्चात् प्रार्थी के अभिभाषक ने समय पर प्रार्थी को अपील पेश करने हेतु विधिक राय नहीं दी इस कारण प्रार्थी समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था । स्थगन प्रार्थना पत्र बहस करते हुए कथन किया कि प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपार हानि के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में निहित है । प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । यदि अधी0न्याया0 के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 4.1.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधी0न्याया0 के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 4.1.2018 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया जावे । हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 4.1.2018 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 3.12.2020 को लगभगत तीन वर्ष उपरांत पेश की है जो भारी मियाद बाहर है किन्तु न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है । अधी0न्याया0 ने अपने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 4.1.2018 द्वारा अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग तीन वर्षो से विचाराधीन है जिसमें अपीलांट/अप्रार्थी दिनांक 7.2.2018 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुके है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जा चुका है । अधी0न्याया0 को आदेश 39 नियम 3–ए जा0दी0 के प्रावधानों के तहत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को एक माह में निर्णित करना अपेक्षित था । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई	

	का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर शीघ्र निर्णित करे । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का एक माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करे । निर्णय की प्रति अधी0न्याया0 को पृथक से प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	